रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042022-234864 CG-DL-E-06042022-234864

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249] No. 249] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2022/चैत्र 15, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2022/CHAITRA 15, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2022

सा.का.िन. 261(अ).—महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के खंड 3 के उप-खंड 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा, भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग) की दिनांक 28 जनवरी, 2022 की अधिसूचना सा.का.िन. 57(अ) के क्रम में, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री अरविंद चौधरी, आर्थिक सलाहकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण बोर्ड में पदेन सदस्य के रूप में कार्यकाल को दिनांक 31.03.2022 से आगे और अगले आदेश होने तक बढ़ाती है।

[फा.सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम] विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

2393 GI/2022 (1)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (PHRD Division) NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2022

G.S.R. 261(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in continuation of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) No. G.S.R. 57(E) dated 28th January, 2022, the Central Government hereby extends the term of Sh. Arvind Chaudhary, (Economic Adviser), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, as an Ex-officio Member of the Board of Deendayal Port Authority, beyond 31.03.2022 and until further orders.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.